

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में 30.10.2025 को द्वितीय तल, सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई में आयोजित मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड - सेज़, ऐरोली, नवी मुंबई के सेक्टर विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अनुमोदन समिति की 38वीं बैठक का कार्यवृत्त।

Minutes of 38th Meeting of the Approval Committee for Sect or Specific Special Economic Zone of M/s. Capgemini Technology Services India Limited - SEZ, at Airoli, Navi Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on 30.10.2025, at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai .

1. सेज़ का नाम Name of the SEZ :: मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड – सेज़ M/s. Capgemini Technology Services India Limited - SEZ
2. सेक्टर Sector :: आईटी/आईटीईएस IT/ITES
3. मीटिंग नंबर Meeting no :: 38वीं 38th
4. दिनांक Date :: 30.10.2025 30.10.2025

उपस्थित सदस्य/Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री मयूर मानकर Shri Mayur Mankar	संयुक्त विकास आयुक्त / Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ / SEEPZ-SEZ
2	श्री सुनील अघवाने Shri. Sunil Aghawane	संयुक्त आयुक्त आयकर / Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती / Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री बैकियावेलु मुथारासु Shri. Backiyavelu Mutharasu	उप निदेशक डीजीएफटी / Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित / Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
4	श्री बीरेंद्र सिंह Shri Birender Singh	उप आयुक्त, सीमा शुल्क / Deputy Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
5	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उप निदेशक उद्योग / Deputy Director Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिति / Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra.
6	श्रीमती स्मिता नांबियार Smt. Smitha Nambiar	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner / विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ / कैपजेमिनी-सेज़ Capgemini –SEZ
7	श्री जय मनोज शाह Shri Jay Manoj Shah	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ

बैठक में सहायता और सुचारु कामकाज के लिए श्री राहुल शिवनगोल एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री जय दीप, एडीसी (न्यू एसईजेड), श्री सुदर्शन शिंदे, एडीसी (न्यू एसईजेड) और श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू एसईजेड) भी शामिल हुए।	Shri Rahul Shivannagol ADC (New SEZ), Shri Jai Deep, ADC (New SEZ), Shri Soodershan Shindde, ADC (New SEZ) and Shri Hanish Rathi, ADC (New SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.
कार्यसूची मद संख्या 01 : दिनांक 25.11.2024 को आयोजित 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। ----- दिनांक 25.11.2024 को आयोजित 37वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।	Agenda Item No. 01 : Confirmation of Minutes of the 37 th meeting held on 25.11.2024. ----- The Minutes of the 37 th Meeting held on 25.11.2024 were confirmed with consensus.

कार्यसूची मद संख्या 02: मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का निदेशक मंडल में परिवर्तन के संबंध में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।		Agenda Item No 02: Proposal of M/s. Capgemini Technology Services India Ltd., for approval w.r.t. change in the Board of Directors.
(मूल एलओए संख्या: सीपज/न्यूसेज/गीगाप्लेक्स-ठाणे/01/2012-13/7982, दिनांक 24.07.2013)		(Original LOA No: SEEPZ/NEWSEZ/GIGAPLEX-THANE/01/2012-13/7982, Dtd. 24.07.2013)
कंपनी के निदेशकों का विवरण निम्नानुसार है:		The details of Directors of the Company are as under:

Sr. No.	Before change in the Directors		Sr. No.	After change in the Directors	
	Name of the Director	Designation		Name of the Director	Designation
1	Mr. Ashwin Yardi	Wholetime Director and Chief Executive Officer	1	Mr. Ashwin Yardi	Wholetime Director and Chief Executive Officer
2	Ms. Aruna Jayanthi	Director	2	Ms. Aruna Jayanthi	Director
3	Mr. Paul Hermelin	Director	3	Mr. Paul Hermelin	Director
4	Mr. Aiman Ezzat	Director	4	Mr. Aiman Ezzat	Director
5	Ms. Maria Pernas	Director	5	Ms. Maria Pernas	Director
6	Ms. Shobha Meera	Director	6	Ms. Shobha Meera	Director
7	Ms. Anne Lebel	Director	7	Ms. Anne Lebel	Director
8	Mr. Ramaswamy Rajaraman	Independent Director	8	Mr. Basawaraj Mahabaleshwar Tambakad	Independent Director
9	Mrs. Kalpana Rao	Independent Director	9	Ms. Mona Cheriyan	Independent Director

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स कैपजेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिया।		Decision:- After deliberation, the Committee approved the proposal of M/s. Capgemini Technology Services India Ltd. for change in the Board of Directors of the company in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No.109, dated 18.10.2021.
1. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ सेज गतिविधियों की निबाध निरंतरता।		1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।		2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and it's constituents.

3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन, जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर देयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।	3. Applicability of and compliance with all Revenue / Company Affairs/SEBI etc, Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. इक्विटी में परिवर्तन/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में हस्तांतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण तुरंत सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।	4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional authority.
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ/हानि की करदेयता का आकलन करने का अधिकार होगा, जैसा भी लागू हो और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता होगी।	5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. आवेदक को राज्य सरकार के प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं।	6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और इकाई के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।	7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नये नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।	8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.
अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।	Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.

Shri. Dnyaneshwar B Patil
Development Commissioner
SEEPZ- SEZ